न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—62/2021/225आर.टी.एक्ट (2021/62)

1. श्रीमती सुमन पत्नी महेन्द्र
2. पूजा पुत्री महेन्द्र) नाबालिक जरिये संरक्षक माता
3. टीना पुत्री महेन्द्र) सुमन देवी पत्नी महेन्द्र

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दौलतखेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सम्पु पत्नी श्री शेरसिंह
2. महेन्द्र पुत्र श्री शेरसिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दौलतखेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

3. श्रीमती गट्टू पुत्री श्री शेरसिंह पत्नी श्री उमराव जाति जाट निवासी तबीजी तहसील व जिला अजमेर।
4. श्रीमती मंजू पुत्री श्री शेरसिंह पत्नी श्री महिपाल जाति जाट निवासी मकरेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
5. श्रीमती आशा पुत्री श्री बहादुर सिंह
6. जगदीश पुत्र श्री रामकुंवार
7. श्रीमती जशोदा पत्नी श्री बहादुर सिंह
8. श्रीमती भंवरी पत्नी श्री बहादुर सिंह
9. श्रीमती रेखा पुत्री श्री बहादुर सिंह
10. रणजीत पुत्र श्री मूला
11. राजेन्द्र पुत्र श्री मूला
12. रामस्वरूप पुत्र श्री बहादुर सिंह
13. श्रीमती रामी पत्नी श्री रामकुंवार
14. श्री सुखदेव पुत्र श्री हजारी
15. श्रीमती सुनीता पुत्री श्री बहादुर सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दौलतखेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.9.2020, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, प्रकरण सं० 59/2019.

उपस्थितः—

1. श्री भीमा रामचौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेंद्र सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 16
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 15 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 59/2019 में पारित आदेश दिनांक 15.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है। दिनांकः—16.09.2022

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक वाद अंतर्गत धारा 53,88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 1 के पति के पिता स्व0 शेरसिंह पुत्र पन्नालाल व सास सम्पु पत्नी शेरसिंह दोनों जाति जाट निवासी ग्राम दौलतखेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर के निवासी थे जिनकी खातेदारी भूमि आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 261 के खसरा नम्बर 599 खाता संख्या 188 के खसरा नम्बर 240,241,244,245 खाता संख्या 259 के खसरा नम्बर 604 खाता संख्या 260 के खसरा नम्बर 1646/226, 209, 231, 610, 642, 643, 664 खाता संख्या 276 के खसरा नम्बर 1670/397, 1671/586, 39 खाता संख्या 78 के खसरा नम्बर 642/1204, 643/1203 जो वाके ग्राम दौलतखेडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है। तत्पश्चात सजरा खानदान वर्णित कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट अपनी हक व हिस्से की आराजीयात पर काश्त करते आ रहे है एवं उक्त आराजी का आज दिनांक तक विधिक बंटवारा राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है। अपीलांट के ससुर शेर सिंह पुत्र पन्नालाल के निधन के उपरांत अपीलांट की सास व अपीलांट के पति के द्वारा उपरोक्त दो संतानों जो कि पुत्रीयां है के होने से अपीलांट के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लग गए एवं आराजीयात को अन्यत्र बेचान करने पर आमादा है। उपरोक्त आराजी के बेचान से अपीलांट व उसकी पुत्रीयों को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में आंकलन नहीं किया जा सकेगा। अतः ताफैसला मूल वाद रेस्पोडेंट को पाबंद किया जाना न्यायोचित है उक्त राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने दर्ज कर उसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 2.7.2019 को दर्ज रजिस्टर करते हुए विवादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुंतकिल इत्यादी नहीं करने का आदेश जारी किया और रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए गए। दौराने प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट की ओर से तलबी के बाद जवाब दावा प्रस्तुत हुआ और दिनांक 15.9.2020 को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने खाता संख्या 78 एवं 276 की आराजी को अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश कि जा रही है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 15 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.9.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2020 की प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थीया ग्रामीण महिला है जिसे उसके वकील साहब ने कह रखा था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी आवश्यकता होगी सूचित कर दिया जाएगा। अतः जब प्रार्थीया ने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दो खसरा नम्बर को स्थगन मुक्त कर दिया है जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जानकारी दी तो प्रार्थीया ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन कराया एवं दिनांक 13.1.2021 को नकल प्राप्त कर फीस आदि का प्रबंध कर दिनांक 26.2.2021 को अजमेर आकर यह अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत कर रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया कि उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 9.7.2019 को वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने का न्यायोचित आदेश प्रदान किया था इसके उपरांत भी आदेश दिनांक 15.9.2020 द्वारा खाता संख्या 78 एवं 276 को स्थगन से मुक्त करने का आदेश पारित कर विपक्षीगण को आराजीयात को बेचान करने की खुली छूट प्रदान कर दी है क्योंकि अपीलांटस का वाद उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अपीलांटस के हक व अधिकारों का निस्तारण होना शेष है। इसी दरमियान विपक्षीगण द्वारा यदि आराजीयात का बेचान कर दिया गया तो अपीलांटस का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। यह कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने बिना किसी कारण से नोन स्पीकिंग आदेश दिनांक 15.9.2020 के द्वारा विपक्षीगण को उक्त दो खातों की आराजीयात का बेचान करने की खुली छुट प्रदान करने में त्रुटि कारित की है इसलिए पारित आदेश काबिल निरस्तनीय है। यह कि अपीलांट के ससुर शेरसिंह पुत्र पन्नाला जी की आराजी थी जो कि अपीलांट के ससुर को उक्त आराजी दादा ससुर पन्नालाल जी से विरासत में मिली और पुश्तैनी आराजीयात थी। जिसकी वसीयत, बख्शीश आदि नहीं की जा सकती और उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने उक्त आराजी की बख्शीश मान ली जबकि पुश्तैनी आराजीयात है और अपीलांट संख्या 2 व 3 के भी दादा की संपत्ति है और दादा की संपत्ति पर पोते व पोतियों का जन्म से अधिकार निहित है। इसलिए यदि बख्शीश व वसीयत भी की गई है तो वह भी नल एण्ड वोईड है। उक्त सभी तथ्य दावे में तय होने हैं तब तक उक्त आराजीयात को रहन, बेचान, मुंतकिल करने की खुली छूट देना न्यायोचित है जिसे नजर अंदाज कर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने जो आदेश पारित किये है, जो काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/9/2020 निरस्त फरमाया जाकर उनके समक्ष वाद के विचाराधीन रहते सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं रहन, बय, मुंतकिल नहीं किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

2020 की प्रार्थीया को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थीया ग्रामीण महिला है जिसे उसके वकील साहब ने कह रखा था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी आवश्यकता होगी सूचित कर दिया जाएगा। अतः जब प्रार्थीया ने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दो खसरा नम्बर को स्थगन मुक्त कर दिया है जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जानकारी दी तो प्रार्थीया ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन कराया एवं दिनांक 13.1.2021 को नकल प्राप्त कर फीस आदि का प्रबंध कर दिनांक 26.2.2021 को अजमेर आकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया कि उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 9.7.2019 को वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने का न्यायोचित आदेश प्रदान किया था इसके उपरांत भी आदेश दिनांक 15.9.2020 द्वारा खाता संख्या 78 एवं 276 को स्थगन से मुक्त करने का आदेश पारित कर विपक्षीगण को आराजीयात को बेचान करने की खुली छूट प्रदान कर दी है क्योंकि अपीलांटस का वाद उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अपीलांटस के हक व अधिकारों का निस्तारण होना शेष है। इसी दरमियान विपक्षीगण द्वारा यदि आराजीयात का बेचान कर दिया गया तो अपीलांटस का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। यह कि उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने बिना किसी कारण से नोन स्पीकिंग आदेश दिनांक 15.9.2020 के द्वारा विपक्षीगण को उक्त दो खातों की आराजीयात का बेचान करने की खुली छुट प्रदान करने में त्रुटि कारित की है इसलिए पारित आदेश काबिल निरस्तनीय है। यह कि अपीलांट के ससुर शेरसिंह पुत्र पन्नाला जी की आराजी थी जो कि अपीलांट के ससुर को उक्त आराजी दादा ससुर पन्नालाल जी से विरासत में मिली और पुश्तैनी आराजीयात थी। जिसकी वसीयत, बख्शीश आदि नहीं की जा सकती और उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने उक्त आराजी की बख्शीश मान ली जबकि पुश्तैनी आराजीयात है और अपीलांट संख्या 2 व 3 के भी दादा की संपत्ति है और दादा की संपत्ति पर पोते व पोतियों का जन्म से अधिकार निहित है। इसलिए यदि बख्शीश व वसीयत भी की गई है तो वह भी नल एण्ड वोईड है। उक्त सभी तथ्य दावे में तय होने हैं तब तक उक्त आराजीयात को रहन, बेचान, मुंतकिल करने की खुली छूट देना न्यायोचित है जिसे नजर अंदाज कर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने जो आदेश पारित किये है, जो काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/9/2020 निरस्त फरमाया जाकर उनके समक्ष वाद के विचाराधीन रहते सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं रहन, बय, मुंतकिल नहीं किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 276 के खसरा नम्बर 1670/397, 1671/586 व 39 एवं खाता संख्या 78 के खसरा नम्बर 642/1204, 643/1203 के भूमि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या श्रीमती सम्पु की खातेदारी निजी है जो प्रार्थीगण/अपीलांटस के दादा से अलग रिश्तेदारों से जरिये बख्शीशनामा मिली है।उक्त आराजी से प्रार्थीगण/अपीलांटस का उसमें कोई हक नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती सम्पु हिन्दु विधवा है उसकी सम्पति में प्रार्थीगण/अपीलांटस का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किये है क्योंकि बख्शीशनामा रजिस्टर्ड है।जिसको आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती सम्पू रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अपीलांटस अपने दादा की खातेदारी काश्तकारी की भूमि में हिस्से पाने के अधिकारी है लेकिन दूसरे खातेदारी के भूमि में से हिस्सा नहीं ले सकते है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने समर्थन में आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 499 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

7. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अपने प्रार्थना–पत्र में जो मुख्य कथन किया कि उनके अभिभाषक ने बताया कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नही है जब भी आवश्यकता होने पर आपको सूचित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात अभिभाषक से सम्पर्क किया गया तो उनको सूचित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने पूर्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 09.07.2019 मे से दो खाता संख्या 276 व 78 को दिनांक 15.09.2000 को स्थगन से मुक्त कर दिया है, जिसकी जानकारी होने पर यह अपील जानकारी में पेश की गई है। प्रार्थना–पत्र में अंकित उपरोक्त कारण संतोजनक होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. तत्पश्चात गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1670/397, 1671/586 व 39 एवं खसरा नम्बर 642/1204, 643/1203 श्रीमती सम्पु को जरिये बख्शीशनामा से प्राप्त हुई है जो उनके दादा से अलग रिश्तेदारों से प्राप्त हुई हैं। उक्त बख्शीशनामा पंजिबद्ध है जिसको आज तक किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नही दी गई है। जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1670/397, 1671/586 व 39 एवं खसरा नम्बर 642/1204, 643/1203 राजस्व रिकार्ड में अंकित है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकारी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी बाबत् हक व हकूक तो बाद साक्ष्य व सुनवाई वाद में तय होगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2020 पारित किया गया है वह विधि सम्मत हैं जिसमें

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

किसी प्रकार के प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अपील अपीलांटस खारिज योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा प्रकरण संख्या 59/2019 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2020 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर